

2/1/19

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9

संख्या-715/पांच-9-2019-6(74)/94टी0सी0-1

लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22 मई 2017 के माध्यम से परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम-1994 एवं नियमावली-1996 तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2017 द्वारा यथासंशोधित नियमावली-2017 के नियम-2(2)(क) एवं (ख) के अधीन राज्य समुचित अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने के प्रयोजन हेतु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन को राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

456

संख्या-715 (1)/पांच-9-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-प0क0/10-जे0डी0/1048(vol-ii) /2019/9788 दिनांक 11.03.2019 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- गार्ड फाइल।

Dr. (Pw) ST
JD FW
21/6/19

① JD PCPNDT
② 50 Antisep
21/6/19

21/06/2019

91

आज्ञा से
(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।